

## वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,  
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय,  
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्यद्धता/2023/

दिनांक :

5992

21-12-23

सेवा में,

प्रबन्धक,

आदित्य दीक्षित गर्ल्स डिग्री कालेज,  
ओड़ासन, गाजीपुर।

विषय:—स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्राचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन के सन्दर्भ में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 30.06.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त मा० कुलपति जी ने शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 23 अगस्त 2011 एवं 04 दिसम्बर, 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 05 वर्ष की संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्राचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि इनके अंक-पत्रों/प्रमाण-पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

| नाम                                             | पिता/पति का नाम       | जन्मतिथि   | शैक्षिक अर्हता   | पद        |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------------|-----------|
| डॉ० पंकज कुमार सिंह<br>आधार संख्या-284033653180 | श्री हृदय नारायण सिंह | 05.07.1983 | एम०ए०, पी-एच०डी० | प्राचार्य |

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा पत्र की प्रति प्राचार्य एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड संख्या सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो तथा वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्राचार्य के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। उक्त अनुमोदन नेट प्रमाण पत्र/पी-एच.डी. प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन किया जाता है।

भवदीय,

## वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,  
वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय,  
जौनपुर।

पत्रांक: वी.ब.सिं.पू.वि.वि./सम्बद्धता/2023/ 4960

दिनांक : 24.09.23

सेवा में,

प्रबन्धक,  
आदित्य दीक्षित गर्ल्स डिग्री कालेज,  
ओड़ासन, गाजीपुर।

विषय:—स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में प्रवक्ता पदों पर अभ्यर्थियों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-30.06.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति जी के आदेश दिनांक 14.08.2023 के अनुक्रम में शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010 तथा 03 दिसम्बर 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर नियुक्त किये जाने हेतु प्रवक्ता के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया है कि उक्त अनुमोदन सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियुक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

| क्रमांक | नाम                                             | पिता/पति का नाम         | जन्मतिथि   | शैक्षिक योग्यता      | विषय/पद नाम                |
|---------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------|----------------------------|
| 1.      | डॉ० पवन कुमार सिंह<br>आधार नं०-953083247669     | श्री रंगदेव बहादुर सिंह | 10.01.1991 | एम० ए०,<br>पी०एच०डी० | प्रवक्ता<br>भूगोल          |
| 2.      | डॉ० रवि प्रकाश सिंह<br>आधार नं०-687660697008    | श्री वीर बहादुर सिंह    | 31.08.1978 | एम० ए०,<br>पी०एच०डी० | प्रवक्ता<br>संस्कृत        |
| 3.      | डॉ० सुखजिंदर सिंह यादव<br>आधार नं०-632340785466 | श्री गामा सिंह यादव     | 20.01.1990 | एम० ए०,<br>पी०एच०डी० | प्रवक्ता<br>हिन्दी         |
| 4.      | डॉ० रुबी सिंह<br>आधार नं०-956542236770          | श्री प्रेम नारायण सिंह  | 01.10.1989 | एम० ए०,<br>पी०एच०डी० | प्रवक्ता<br>समाजशास्त्र    |
| 5.      | डॉ० बी० रामनारायण<br>आधार नं०-510558570252      | श्री वंश नारायण राम     | 25.10.1988 | एम० ए०,<br>पी०एच०डी० | प्रवक्ता<br>राजनीतिशास्त्र |
| 6.      | डॉ० छोटे लाल मौर्य<br>आधार नं०-358715779914     | श्री रामअधार मौर्य      | 25.07.1989 | एम० ए०,<br>पी०एच०डी० | प्रवक्ता<br>शिक्षाशास्त्र  |
| 7.      | डॉ० ममता सिंह<br>आधार नं०-926593697668          | श्री लालजी सिंह         | 01.11.1979 | एम० ए०,<br>पी०एच०डी० | प्रवक्ता<br>गृहविज्ञान     |

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्रवक्ताओं के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्फ्रिब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय  
कुलसचिव